

तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

तारीख रजू 22/12/17 रिपोर्ट पटवारी हल्का ठेका बनाम  
 पुत्र चमलाल जाति शीना निवासी नयागांव तहसील

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 26/1/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मधुवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री नयागांव ने ग्राम नयागांव को भूमि ख.न. 447 रकबा 0.01 किस्म गेहूँ फसल रबी / खरीफ संवत 20 74 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 447 रकबा 0.01 किस्म गेहूँ वाके ग्राम नयागांव से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.44 का 30 गुणा 2222 शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
 तहसील-महवा (दौसा)  
 तहसीलदार महवा

2018-18  
 22 रज  
 8/3/18  
 ठेका